

25/11/25

राज्य की नोटिफिकेशन क्रि. नं. 353/25
मुलजी नरु बटजमानत मय वकील कउप.
धायक क्रि. नं. 353/25 पर गवाह नरु दारा राउ. 1/2/25
अरेस्ट क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
श्रीमं. श्री. नरु दारा वरु दारा वरु दारा वरु दारा
दुख गवाह को नरु दारा पर गवाह 2/12/25 के
लिए वरु दारा क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
10 को अरेस्ट क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
पर गवाह वरु दारा क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
रु 2/12/25 को पर गवाह

पर गवाह शिरी

वेगल मय

श्रीमं. श्री. वरु दारा

ल. नं. 353/25
25/11/25

सेशन न्यायाधीश
बाइमर

20.12.25 को राज. क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
अरेस्ट क्रि. नं. 353/25 के अन्तर्गत लिये गये गवाह
जमानत मय वकील 353/25
गवाह पी. 05 क्रि. नं. 353/25
लेखक लिये गये गवाह क्रि. नं. 353/25
नरु दारा गवाह क्रि. नं. 2, 4, 6, 8 व 10 को पर गवाह
जमानत मय वकील के अन्तर्गत लिये गये गवाह
नरु दारा पी. 05 क्रि. नं. 20.12.25 को पर गवाह

पर गवाह शिरी

8/00
481
08/12/25

वेगल मय

सेशन न्यायाधीश
बाइमर


20.12.2025 राज्य की ओर से लोक अभियोजक
उपस्थित। अभियुक्त गण बर जमानत मय वकील के
उपस्थित। गवाह भंवरलाल के साक्ष्य पीडब्ल्यू 06 में
लिये गए अब इस गवाह को तलब नहीं किया जावे।
अन्य कोई गवाहन उपस्थित नहीं। गवाहन भैराराम,
चिमाराम व कौशलाराम के जमानती वारंट बाद
तामिल लौटे है, अतः इन गवाहन को अब अरेस्ट
वारंट से तलब किया जावे। प्रकरण पुराना एवं
टारगेट सूची में शामिल है, अतः वारंट पर लाल
स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण पुराना
है अतः तामिल आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा

पर गवाह शिरी

वेगल मय

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

करवाई जावे अदम तामील की सूरत में तामील कुनिंदा स्पष्टीकरण हेतु न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पक्ष में दिनांक 06.01.2026 को पेश हो।


दीक्षन न्यायाधीश
बाइमेर